भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *331

जिसका उत्तर सोमवार, 24 मार्च, 2025/3 चैत्र, 1947 (शक) को दिया गया

'सिबिल स्कोर' कम होने की स्थिति में किसानों को ऋण न दिया जाना

*331. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या फसल ऋण संवितरित करते समय सिबिल स्कोर कम होने के कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को ऋण सुविधा नहीं दी जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त कृत्य के संबंध में कोई जांच की है या इसका कोई संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले ऋणों का निपटान किए जाने के बाद भी किसानों को ऋण लेने में कोई कठिनाई हो रही है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) किसानों को ऋण संवितरित करने के संबंध में सरकार द्वारा उक्त बैंकों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं/जारी किए जाने का विचार है;

(ड.) क्या छात्रों को बैंकों से शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए गैर-कृषि संपत्ति गिरवी रखने के लिए कहा गया है जिसके कारण छात्र ऋण सुविधाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा बैंकों के उपरोक्त कृत्यों को बंद कराए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (च): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

‘‘सिबिल स्कोर’ कम होने की स्थिति में किसानों को ऋण न दिया जाना” के संबंध में श्री संजय हरिभाऊ जाधव और श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर द्वारा पूछे गए दिनांक 24.3.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *331 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): ‘ऋण सूचना कंपनियों को ऋण संबंधी सूचना प्रस्तुत करने के लिए डेटा प्रारूप और अन्य विनियामकीय उपायों’ के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के 27 जून, 2014 के परिपत्र में यह कहा गया है कि बैंकों को अपनी ऋण मूल्यांकन प्रक्रियाओं/ऋण नीतियों में एक या अधिक ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) से ऋण सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रावधान शामिल करने की अपेक्षा की जाती है ताकि ऋण संबंधी निर्णय प्रणाली में उपलब्ध सूचना पर आधारित हों।

सम्यक तत्परता के उद्देश्य से सीआईसी सूचना को संदर्भित किया जाता है और ऐसे मामलों में ध्यान में रखा जाता है जहां उधारकर्ता की ओर से किसी अन्य ऋणदात्री संस्था में चूक होती है।

(ग) और (घ): किसानों को किफायती ऋण तक झंझट रहित पहुंच प्रदान करने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग ने दिनांक 4.2.2019 के अपने पत्र के माध्यम से सभी बैंकों को 3 लाख रुपये तक के केसीसी/फसल ऋण के लिए प्रोसेसिंग, प्रलेखन, जांच, लेजर फोलियो प्रभार और अन्य सभी सेवा प्रभार माफ करने की सलाह दी है। इसके अलावा, आरबीआई ने 6 दिसंबर 2024 की अपनी अधिसूचना "कृषि के लिए ऋण प्रवाह – संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण" के अंतर्गत संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण की सीमा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी है।

यहां तक कि एकबारगी निपटान/समझौता निपटान के अंतर्गत ऋण खातों को बंद करने के मामलों में भी किसानों को बैंकों की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार कूलिंग अवधि के बाद नए ऋण लेने के लिए पात्र बनाया जाता है।

(ङ) और (च): सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा तैयार की गई मॉडल शिक्षा ऋण योजना (एमईएलएस), 2022 (दिनांक 21.3.2024 को अंतिम बार संशोधित) को अपनाने की सलाह दी गई है। इस योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि 7.50 लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिए कोई संपार्श्विक प्रतिभूति/तृतीय पक्ष गारंटी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा ‘शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी निधि योजना’ (सीजीएफएसईएल) के अंतर्गत ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) भी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार प्रत्येक मामले के आधार पर 7.50 लाख रुपए से अधिक के संपार्श्विक मुक्त ऋण भी प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना दिनांक 6.11.2024 को शुरू की गई है, जो मेधावी छात्रों को बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करती है ताकि आर्थिक तंगी भारत के किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोके। यह योजना मेधावी छात्रों को शिक्षा ऋण की सुविधा प्रदान करती है और सक्षम बनाती है जो देश के शीर्षस्थ 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों (क्यूएचईआई) में प्रवेश लेते हैं और सरल और पारदर्शी आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से संपार्श्विक मुक्त, गारंटीदाता मुक्त शिक्षा ऋण के लिए सक्षम बनाते हैं।

*****